महत्वपूर्ण एवं खास

कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी ने किया कमिशनिंग हाल का निरीक्षण

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी ने सुबह मंडी परिसर सारंगढ़ के कमिशनिंग हाल में कमिशनिंग कार्य का अवलोकन किया। डॉ. सिद्दीकी ने रिटर्निंग अधिकारियों मोनिका वर्मा व डॉ. स्निग्धा तिवारी से निर्वाचन दल के संबंध में चर्चा की और कर्मचारियों की आवश्यक व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर निष्ठा पांडेय तिवारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश भारद्वाज उपस्थित थे।

जनरल आब्जर्वर तापस राय ने कमिशनिंग और स्ट्रांग रूम का किया अवलोकन

सारंगढ़-बिलाईगढ़। सारंगढ़ विधानसभा-17 के जनरल आब्जर्वर तापस राय ने मंडी परिसर स्थित कमिशनिंग हाल और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। आब्जर्वर राय ने रिटर्निंग अधिकारी मोनिका वर्मा के साथ स्ट्रांग रूम से कमिशनिंग हाल में ले जा रहे ईव्हीएम और व्हीव्हीपैट मशीन का भौतिक सत्यापन किया। आब्जर्वर राय ने कमिशनिंग हाल में दल द्वारा किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया। राय ने स्ट्रांग रूम में दल के द्वारा मशीनों के भीतर नंबरिंग किए जा रहे का अवलोकन किया। राय ने रिटर्निंग अधिकारी को कहा कि कोई भी समस्या आता है तो, उससे अवगत कराएं। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश भारद्वाज उपस्थित थे।

जनरल आब्जर्वर पवन कुमार ने कमिशनिंग हाल और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया

सारंगढ़-बिलाईगढ़। बिलाईगढ़ विधानसभा-43 के जनरल आब्जर्वर पवन कुमार ने मंडी परिसर स्थित कमिशनिंग हाल और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। पवन कुमार ने रिटर्निंग अधिकारी डॉ. स्निग्धा तिवारी से निर्वाचन के गतिविधियों और चुनाव चिन्ह के प्रिंटिंग के संबंध में जानकारी लिया। आब्जर्वर पवन कुमार ने मंडी परिसर मैदान में दोनों रिटर्निंग अधिकारियों मोनिका वर्मा व डॉ. स्निग्धा तिवारी के साथ ईव्हीएम मशीनों के कमिशनिंग के संबंध में चर्चा किया। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश भारद्वाज उपस्थित थे।

जनरल आब्जर्वर तापस राय और पवन कुमार ने निर्वाचन के संबंध में कलेक्टर से चर्चा किया

सारंगढ़-बिलाईगढ़। सारंगढ़ विधानसभा-17 के जनरल आब्जर्वर तापस राय और बिलाईगढ़ विधानसभा-43 के जनरल आब्जर्वर पवन कुमार ने मंडी परिसर स्थित निर्वाचन कार्यालय में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी से मुलाकात किया। मुलाकात के दौरान आब्जर्वर राय, पवन कुमार और कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी के मध्य निर्वाचन के गतिविधियों के संबंध में चर्चा किया गया।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत इंजीनियरों द्वारा किया गया कमिशनिंग की शुरूआत

सारंगढ़-बिलाईगढ़। सारंगढ़ के मंडी परिसर स्थित कमिशनिंग हाल में सारंगढ़ विधानसभा-17 और बिलाईगढ़ विधानसभा-43 के ईव्हीएम और व्हीव्हीपैट मशीन में चुनाव चिन्ह का इंस्टालेशन की शुरूआत भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा अधिकृत इंजीनियरों द्वारा किया गया है। दोनों विधानसभा के लिए 2-2 इंजीनियर इंस्टाल कर रहे हैं। 8 नवंबर 2023 तक इस कमिशनिंग कार्य को पूर्ण किया जाना है। इस अवसर पर अलग-अलग कमिशनिंग हाल में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी मोनिका वर्मा, डॉ. स्निग्धा तिवारी व निर्वाचन दल के कर्मी उपस्थित थे।

पटाखा दुकानों में आग से बचाव के संबंध में एडवाइजरी जारी

- रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा पटाखों का विक्रय
- केवल हरित पटाखों का विक्रय एवं उपयोग की होगी अनुमति

रायगढ़। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा जिले में संचालित सभी स्थायी एवं अस्थायी पटाखा दुकानों में आग से बचाव के संबंध में एडवाइजरी जारी किया गया है। जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि आतिशबाजी अज्वलनशील सामग्री से बने शेड/भवन में रखी जाएगी, जो कि बंद और सुरक्षित होगी जिससे कि उसमें अप्राधिकृत व्यक्तियों की पहुंच को रोका जा सके। कोई भी तेल से जलने वाली लैंप, गैस लैंप या खुली रोशनी शेड में या रोशनी करने के प्रयोजन के लिए शेड के सुरक्षा दूरी के भीतर प्रयोग नहीं की जाएगी। यदि कोई विद्युत रोशनी प्रयुक्त होती है तो उसे दीवार या छत पर स्थिर किया जाएगा और उसे नम्य तार द्वारा लटकाया नहीं जाएगा।

अनुज्ञप्तिधारी और उनके कर्मचारी परिसर के भीतर आपातकाल के दौरान की जाने वाली प्रक्रियाओं से भलीभांति परिचित होंगे। किसी निरीक्षण या नमूना अधिकारी को अनुज्ञप्त परिसर पर सभी समयों पर पहुंच प्राप्त होगी और ऐसे अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सुविधाएं दी जाएगी कि सभी नियमों और अनुज्ञप्ति की शर्तों का सम्यकत: अनुपालन किया जा रहा है। यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्तिधारक को अनुज्ञत परिसरों या मशीनरी, टूल या उपकरण में ऐसी कोई मरम्मत या परिवर्धन या परिवर्तन करने या सिफारिशों को लागू करने को लिखित रूप में सूचित करता है जो ऐसे प्राधिकारी की राय में अप्रतिग्राहय जोखिम कर सकता है और जो परिसर के अंदर या बाहर या व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारक सिफारिशों को निष्पादित करेगा और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन रिपोर्ट ऐसे प्राधिकारी को देगा।

अग्नि या विस्फोट द्वारा दुर्घटनाओं और विस्फोटकों की हानि, उसमें कमी या चोरी की रिपोर्ट निकटतम पुलिस स्टेशन और अनुज्ञापन प्राधिकारी को तुरंत दी जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी रखने और दुकान से ब्रिकी के लिए प्राधिकृत विस्फोटक सूची में यथा उल्लिखित प्राधिकृत आतिशबाजी अनुज्ञत फैक्टरी या कंपनी से खरीदेगा। क्लोरेटयुक्त आतिशबाजी, रंग, स्टार माचिस अन्य प्रकार के आतिशबाजियों से ऐसे मध्यवर्ती विभाजक पदार्थ और कैरेटर ऐसे मध्यवर्ती स्थान अलग की जाएगी, साथ ही एक दूसरे संपर्क में आने से अग्नि या विस्फोट को प्रभावी रूप से रोका जाएगा। आतिशबाजी की सभी बिक्रियां शासन द्वारा निर्धारित परिसर में ही की जाएगी। कोई भी आतिशबाजी, जिसमें क्लोरेट अंतर्विष्ट है, सिवाय कागज कैप या एर्मोसेस या रंगीन माचिस या मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित आतिशबाजी के परिसर में नहीं रखी जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी स्टाक में और बिक्री किए गए सभी विस्फोटकों का निर्धारित प्रारूप में अभिलेख और लेखा रखेगा जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी उसे समय-समय पर निर्देश दे और इन नियमों के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी को, जब ऐसा अधिकारी उसे ऐसा करने के लिए कहे, अपना स्टॉक और अपनी पुस्तकें और अभिलेख प्रदर्शित करेगा। कोई भी आतिशबाजी जो अधिक ध्वनि उत्पन्न करने में समक्ष हो, परिसर से भंडारण या परिसर से बिक्री के लिए नहीं रखी जाएगी। अनुज्ञप्ति केवल नामांकित धारक हेतु वैध होगा। शासन द्वारा निर्धारित स्थल पर फटाखों के रखने/विक्रय की अनुमति होगी। सुरक्षा की संपूर्ण जवाबदारी अनुज्ञप्तिधारी की होगी। विक्रय स्थल पर अग्निशमन यंत्र रखना अनिवार्य होगा। विदेशी मूल के आतिशबाजी की बिक्री पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह अस्थायी दुकानों में 6 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखों का विक्रय किया जा सकेगा। रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक पटाखों का विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। लायसेंसधारियों को दुकानों में जारी लायसेंस का प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

कलेक्टर गोयल के निर्देश पर फटाखा विक्रेताओं के लिए जारी हुए विशेष गाईड लाईन्स

लायसेंसधारियों को विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा। लायसेंसधारियों को केवल हरित पटाखों का विक्रय एवं उपयोग की अनुमति होगी। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। लायसेंसधारियों को पटाखा विक्रय के लिए कपड़े अथवा जूट से बने थैले, इकोफ्रैण्डली एवं बायोडिग्रेडेबल का ही उपयोग करना होगा। सुरक्षा की संपूर्ण जवाबदारी अनुज्ञप्तिधारी की होगी। विक्रय स्थल पर प्रत्येक दुकान में आग से बचाव के लिए न्यूनतम 5 किलो ग्राम पोर्टबल फायर एक्सटिंगविशर एवं दो बाल्टी रेत तथा दो बाल्टी पानी का इंतजाम कर रखना अनिवार्य होगा। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से सभी लायसेंसधारियों से अपील/अपेक्षा की जाती है कि तहसील/नगर क्षेत्र में स्थित शासकीय आश्रम व छात्रावास परिसर में जो कि पूर्णत: बाउण्ड्रीवाल युक्त हो, में न्यूनतम 10 पेड़ (प्रजातिवार 2-2 पेड़, चार फीट तक या उससे अधिक बड़े)लगाने होंगे। जिसे मेटल अथवा लोहे की गार्ड से संरक्षित भी करना होगा। साथ ही निम्न प्रजातियों जैसे आम, मुनगा, नीम, जामुन, पपीता, इमली, अमरूद एवं कटहल के पेड़-पौधे लगाये जा सकते है।

सामान्य प्रेक्षक, कलेक्टर एवं प्रत्याशियों की उपस्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर एवं टीम द्वारा ईवीएम कमीशनिंग कार्य प्रारंभ

- तीन विधान सभाओं के लिए केआईटी रायगढ़ एवं धरमजयगढ़ विधानसभा का डाइट धरमजयगढ़ में किया जा रहा कमीशनिंग

रायगढ़। भारत निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित समय-सारणी अनुसार आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के मार्गदर्शन में सामान्य प्रेक्षक डॉ.रूपांजलि कार्तिक एवं विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों व अभिकर्तागण की उपस्थिति में ईवीएम, वीवीपैट मशीनों की कमीशनिंग का कार्य प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर एसएसपी सदानंद कुमार, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय, सहायक कलेक्टर युवराज मरमट उपस्थित रहें।

सामान्य प्रेक्षक, कलेक्टर, प्रत्याशियों एवं उनके अभिकर्ता की उपस्थिति में स्ट्रॉन्ग रूम का लॉक खोला गया। तत्पश्चात रायगढ़ जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र लैलूंगा, रायगढ़ एवं खरसिया में निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्र के लिए चयनित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम/वीवीपैट) का राजनीतिक प्रत्याशियों एवं प्रतिनिधियों की उपस्थिति में केआईटी में तथा विधानसभा क्षेत्र धरमजयगढ़ में निर्वाचन के चयनित मशीनों का जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान धरमजयगढ़ में कमीशनिंग किया जा रहा हैं। कमीशनिंग कार्य पूर्ण होने के पश्चात रैंडम आधार पर चयनित प्रत्येक विधानसभा के 5 प्रतिशत मशीनों का मॉक पोल हेतु एक हजार वोटिंग कर परीक्षण किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सामग्रियों की जानकारी लेते हुए, सुरक्षा, निर्धारित रूट के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव पाण्डेय ने बताया कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को कमीशनिंग कार्य प्रारंभ होने की सूचना दी गयी है। अभ्यर्थी के स्थान पर उनके निर्वाचन अभिकर्ता भी उपस्थित रह सकते हैं। कमीशनिंग हॉल में सीसी टीवी कैमरा स्थापित किए गए हैं और प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। सभी अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता ईवीएम/वीवीपैट की कमीशनिंग कार्य के दौरान उपस्थित रह सकते हैं।

कलेक्टर ने कोड़ातराई में धान तौल कर धान खरीदी का किया शुभारंभ

- सर्वप्रथम धान विक्रय के लिए पहुंचे पटेल को कलेक्टर ने शाल-श्रीफल प्रदान कर किया सम्मानित
- जिले के 105 उपार्जन केंद्रों में होगी धान खरीदी

रायगढ़। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने आज कोड़ातराई धान उपार्जन केंद्र में विधिवत पूजा-अर्चना करते हुए धान तौलाई कर धान खरीदी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एसएसपी सदानंद कुमार, सीईओ जिला पंचायत जितेन्दर यादव, सहायक कलेक्टर युवराज मरमट उपस्थित रहें।

कोड़ातराई निवासी किसान चम्पत राम पटेल धान विक्रय के लिए उपार्जन केन्द्र पहुंचे थे। उन्होंने बताया की 80 क्विंटल धान का टोकन कटवाया हैं, कलेक्टर गोयल ने सर्वप्रथम धान विक्रय के लिए पहुंचे चंपत राम पटेल को शाल व श्रीफल प्रदान कर सम्मानित करते हुए, खेती-किसानी के संबंध में चर्चा भी की।

कलेक्टर गोयल ने उपार्जन केन्द्र में सभी किसानों के लिए बैठक, पेयजल के सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए, धान संग्रहण हेतु बारदानों की स्थिति की जानकारी ली। खाद्य अधिकारी ने बताया की वर्तमान में पीडीएस एवं नये मिलाकर पर्याप्त बरदाने उपलब्ध हैं। कलेक्टर गोयल ने समिति में पंजीकृत किसानों की जानकारी लेते हुए नए किसानों की भी जानकारी ली।

खाद्य अधिकारी चितरंजन सिंह ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए जिले के पंजीकृत किसानों से धान खरीदी शुरू हो गयी है। धान विक्रय के लिए जिले में 83 हजार 61 किसानों का सोसायटी मॉड्यूल में पंजीयन हुआ है, जिसमें 9 हजार 109 नये किसान है। जिले में धान खरीदी के लिए 105 उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं।

इस अवसर पर खाद्य अधिकारी चितरंजन सिंह, अपेक्स बैंक नोडल अधिकारी पंकज सोढ़ी, आजाद, खाद्य निरीक्षक अंजनी कुमार राव, समिति प्रबंधक मनोज गुप्ता उपस्थित रहे।

कोतरारोड पुलिस ने चोरी के ट्रैक्टर बरामद कर दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

- आरोपियों ने 2 दिन तक छिपा कर रखा चोरी का ट्रैक्टर, बेचने दौरान आए लैलूंगा पुलिस के हाथ

रायगढ़। बीते 26 अक्टूबर को ग्राम धनगर से चोरी ट्रैक्टर को थाना कोतरारोड पुलिस ने लैलूंगा पुलिस की मदद से लैलूंगा थाना क्षेत्र में ढूंढ निकाली। मामले में कोतरारोड़ पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के आरोपी समेत चोरी ट्रैक्टर ट्राली की खरीदी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

ट्रैक्टर चोरी को लेकर 31 अक्टूबर को थाना कोतरारोड़ में ग्राम धनागर के विकास अग्रवाल द्वारा उसकी ट्रैक्टर क्रमांक सीजी 13 ए.क्यू. 6393 के 26 अक्टूबर की रात उसके घर के सामने दुकान से कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले जाने के संबंध में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया। कोतरारोड़ पुलिस अज्ञात आरोपी पर वाहन चोरी (धारा 379 आईपीसी) का अपराध दर्ज कर माल मुल्जिम की पतासाजी में जुड़ गई। थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक विजय चेलक के हमराह विवेचना क्रम में कोतरारोड़ पुलिस द्वारा घटनास्थल के आसपास के फुटेज चेक किये गये जिसमें घटना दिनांक को एक व्यक्ति मुंह में कपड़ा बांधे हुए ट्रैक्टर को चोरी कर चलाते हुए ले जाते दिखा, उसके साथ एक व्यक्ति मोटरसाइकिल में साथ-साथ जा रहा था। सीसीटीवी फुटेज को आगे चेक करने पर दोनों आरोपी NH-49 होते लैलूंगा क्षेत्र की ओर जाते दिखे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के निर्देशन पर थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक मोहन भारद्वाज भी लैलूंगा क्षेत्र में संदेहियों की पतासाजी कर रहे थे जिन्हें मुखबीर से एक चोरी ट्रैक्टर ट्राली को ग्राम खेड़आमा का लीलांबर चौहान द्वारा बैस्कीमुड़ा में बेचने के संबंध में सूचना मिला। तत्काल थाना प्रभारी लैलूंगा द्वारा अपने स्टाफ को खेड़आमा भेजा गया और थाना प्रभारी कोतरारोड़ से जानकारी साझा किये। कोतरारोड पुलिस द्वारा ग्राम खेड़आमा के लीलांबर चौहान को हिरासत में लेकर चोरी ट्रैक्टर के संबंध में कड़ी पूछताछ किया गया जिसमें उसने अपने अपने गांव के साथी राजू के साथ मिलकर ग्राम धनागार के विकास अग्रवाल की महिंद्रा ट्रैक्टर को योजना बनाकर चोरी करना बताया।

आरोपी लीलांबर चौहान ने बताया कि वह और राजू दोनों धनागर, कोतरारोड़, रायगढ़ की ओर ड्रायवरी का काम किये हैं। इन्हें जानकारी थी कि ग्राम धनागर का विकास अग्रवाल अपनी ट्रैक्टर को अक्सर उसके दुकान के बाहर खड़ी करता है। दोनों योजना बनाकर घटना दिनांक 26 अक्टूबर की रात लीलांबर चौहान के मोटरसाइकिल में धनागर पहुंचे। जहां राजू मुंह पर कपड़ा बांधकर ट्रैक्टर को चलाते NH-49 होते हुए खेड़आमा ले आये और 2 दिन तक चोरी ट्रेक्टर को खेड़आमा डैम के पास छुपा कर रखे थे जिसे ग्राम बैस्कीमुडा के रामसिंह पैंकरा से बचने के लिए चर्चा किए। राम सिंह ट्रैक्टर ट्राली को ₹70,000 में खरीदना बताया और ₹50,000 नगद दिया जिसमें लीलांबर चौहान ने राजू को ₹5,000 को दिया और शेष रकम खाना पीना और उधारी चुकाने में खर्च कर देना बताया। आरोपी लीलांबर चौहान से छिपा कर रखा ट्रैक्टर इंजन तथा आरोपी रामसिंह पैंकरा के कब्जे से चोरी ट्रैक्टर ट्राली की जब्ती की गई है। प्रकरण में धारा 411, 34 आईपीसी विस्तारित कर दोनों आरोपी – (1) लीलांबर चौहान पिता स्वर्गीय मस्त राम चौहान उम्र 35 साल निवासी खेड़आमा थाना लैलूंगा जिला रायगढ़ (2) राम सिंह पैकरा पिता पुनीत राम पैकरा उम्र 26 साल बैस्कीमुडा थाना लैलूंगा जिला रायगढ़ को आज कोतरारोड़ पुलिस द्वारा रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण का एक आरोपी राजू निवासी खेड़आमा अपने सकुनत से फरार है जिसकी पतासाजी की जा रही है।

प्रधान पाठक बेनी माधव सिदार का दो वार्षिक वेतनवृद्धि रोके जाने का कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने जारी किया आदेश

रायगढ़। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने शासकीय माध्यमिक शाला बोकरामुड़ा विकासखण्ड, रायगढ़ के प्रधान पाठक बेनी माधव सिदार पर लगाये गये आरोप को प्रमाणित पाये जाने पर दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्डादेश पारित करने हेतु आदेश जारी किया है। साथ ही स्पष्ट किया है कि निलंबन अवधि में वेतन को छोड़कर अन्य समस्त प्रयोजन हेतु कर्तव्य अवधि मान्य किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि प्रधान पाठक बेनी माधव सिदार के द्वारा बीते लोकसभा निर्वाचन-2019 के दौरान धरमजयगढ़ में पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था। लेकिन सिदार द्वारा अपने पदीय दायित्व के दौरान नशे की हालत में अपने ड्यूटी पर उपस्थित पाये गए। जहां उनका डॉक्टरी परीक्षण कराया जाने पर शराब सेवन करना प्रमाणित पाया गया। जिसके उपरांत छ.ग.सिविल सेवा नियम के तहत उन्हें निलंबित किया गया था। सिदार को दिनांक 2 दिसम्बर 2022 को निलंबन से बहाल करते हुए प्रधान पाठक शास. माध्यमिक शाला बोकरामुड़ा के पद पर यथावत पदस्थ किया गया है। तत्पश्चात निलंबन अवधि से बहाली तक विभागीय जांच संस्थित किया गया। विभागीय जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विभागीय जांच प्रतिवेदन के अनुसार अपचारी कर्मचारी द्वारा उन पर लगाये गये आरोप को अपने अभिकथन में स्वीकार करना एवं विभागीय जांच में आगे साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होना प्रतिवेदन किया जाकर अपचारी कर्मचारी के ऊपर लगाये गये आरोप प्रमाणित होना प्रतिवेदित किया गया है।

महानदी किनारे मनाया गया मतदाता जागरूकता दीपावली

- कम मतदान प्रतिशत क्षेत्र जैतपुर में दीप जलाकर मतदान का दिया संदेश

सारंगढ़-बिलाईगढ़। विधानसभा निर्वाचन में शत प्रतिशत मतदान को बढ़ावा देने व लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी के मार्गदर्शन में बिलाईगढ़ विधानसभा के कम मतदान प्रतिशत क्षेत्र जैतपुर के महानदी किनारे मनाया गया मतदाता जागरूकता दीपावली। इस कार्यक्रम में कलेक्टर डॉ सिद्दीकी, स्वीप नोडल हरिशंकर चौहान एसडीएम डॉ स्निग्धा तिवारी, सीईओ योगेश्वरी बर्मन समेत बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकगण, अधिकारियों कर्मचारियों संग स्व सहायता समूह की महिलाओं एवं युवाओं द्वारा द्वारा दीपोत्सव मनाया गया। स्वीप दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में ''सारंगढ़ बिलाईगढ़, सब्बो जाबो वोट देहे बर'' का नारा लगाया गया। साथ ही उपस्थित सभी अधिकारी-कर्मचारियों, युवाओं एवं महिला मतदाताओं ने निष्पक्ष मतदान करने का संकल्प भी लिया।

दीपदान से परिवेश उजियारा और मतदान से लोकतंत्र उजियारा

मतदाता जागरूकता (स्वीप) कार्यक्रम के तहत रविवार की शाम को महानदी में दीपदान कर परिवेश को उजियारा किया गया और मतदान से लोकतंत्र को उजियारा करने, मतदाता के एक-एक निष्पक्ष वोट से लोकतंत्र मजबूत करने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर दीप जलाकर आकाश दीया गुब्बारे छोड़े गये।

उल्लेखनीय है कि जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी के मार्गदर्शन तथा स्वीप के नोडल अधिकारी हरिशंकर चौहान के नेतृत्व में स्वीप अंतर्गत जिले में अनेक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थी, महिला समूह, अधिकारी-कर्मचारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि बढ़-चढ़कर शामिल हो रहे हैं।

80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले 207 मतदाताओं को मिलेगी उनके निवास स्थल पर मतदान करने की सुविधा

रायगढ़। विधानसभा आम निर्वाचन-2023 में रायगढ़ जिले के चारों विधान सभाओं से 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गो एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले 207 प्रत्याशियों को उनके निवास स्थल पर मतदान करने हेतु सुविधा प्रदान की गई है।

उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन-2023 में शत-प्रतिशत मतदान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गो एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को उनके निवास स्थल पर मतदान करने हेतु प्रारूप 12घ में आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। जिसके तहत आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2023 तक जिले में विधानसभा क्षेत्र 15-लैलूंगा से 29, 16-रायगढ़ से 53, 18-खरसिया से 89 एवं 19-धरमजयगढ से 36, इस प्रकार कुल 207 मतदाताओं द्वारा नियत समयावधि में प्ररूप 12घ में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रारूप 12घ में आवेदन करने वाले मतदाताओं के निवास स्थल पर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराने हेतु गठित दल का द्वितीय प्रशिक्षण सृजन सभा कक्ष में आयोजित किया गया। दल में 02 मतदान अधिकारी, 01 माइक्रो-आब्जर्वर, 01 वीडियोग्राफर तथा सुरक्षा बल शामिल रहेंगे। सभी रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रारूप 12घ में आवेदन करने वाले मतदाताओं के निवास स्थल पर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराने हेतु सभी अभ्यर्थियों एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूचना प्रदान की गई है, जिसके अनुसार यह सभी दल निर्धारित समय सारणी अनुसार 8 एवं 9 नवम्बर 2023 को संबंधित मतदाता के निवास स्थल पर पहुंचकर डाक मतपत्र के माध्यम से विधिवत् मतदान की कार्यवाही सम्पन्न करायेंगे।

उपरोक्तानुसार मतदान कार्यवाही के दौरान मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि तथा अभ्यर्थी/उनके निर्वाचन अभिकर्ता उपस्थित रहते हुए अवलोकन कर सकते है, दल के विडियोग्राफर द्वारा संपूर्ण कार्यवाही की विडियो रिकर्डिंग की जायेगी। अधिक जानकारी हेतु डाक मतपत्र हेतु नोडल आफिसर रमेश कुमार मोर डिप्टी कलेक्टर से सम्पर्क किया जा सकता है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480